रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2013/पौष 17, 1934
No. 4] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2013/PAUSA 17, 1934

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 7 जनवरी, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) (संशोधन) विनियम, 2012

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/27/5469.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) (संशोधन) विनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।

2. वे भारत के राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004 में, -

   i. विनियम 1 में, उप-विनियम (2) में, -

      क. परंतुक में, चिह्न "।", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जायेगा ;

      ख. परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

      "परंतु यह और कि इन विनियमों के उपबंध विभिन्न वर्गों के मध्यवर्तियों के संबंध में ऐसी तारीखों को प्रवृत्त होंगे जैसा बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।"

ii. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, -

क. खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्, -

"(ङक) "वितरक" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) में यथा परिभाषित वितरक अभिप्रेत है ;"

ख. खंड (ज), निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात्, -

"(ज) "मध्यवर्ती" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) में यथा परिभाषित मध्यवर्ती अभिप्रेत है ;"

ग. खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्, -

"(जक) "निर्गमकर्ता" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (झ) में यथा परिभाषित निर्गमकर्ता अभिप्रेत है;"

iii. विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्, -

"परंतु यह कि इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए वितरक को मध्यवर्ती समझा जायेगा ।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/69-जैड बी/12]

पाद टिप्पण :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/3348/2004 द्वारा, 19 फरवरी 2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th January, 2013

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SELF REGULATORY ORGANIZATIONS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2013

No. LAD-NRO/GN/2012-13/27/5469.— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Self Regulatory Organizations) Regulations, 2004 namely :—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Self Regulatory Organizations) (Amendment) Regulations, 2013.
2. They shall come into force on the date of their notification in the Gazette of India.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Self Regulatory Organizations) Regulations, 2004,—

i. In regulation 1, in sub-regulation (2), -

a. in the proviso, the symbol "." shall be substituted with the symbol ":" ;

b. after the proviso, the following new proviso shall be inserted, namely-

"Provided further that the provisions of these regulations shall come into force in relation to different classes of intermediaries on such dates as the Board may by notification in the Official Gazette appoint."

ii. In regulation 2, in sub-regulation (1),-

a. after clause (e), the following new clause shall be inserted, namely,-

"(ea) "distributor" means distributor as defined in clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007;"

b. clause (h), shall be substituted with the following, namely,-

"(h) "intermediary" means intermediary as defined in clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;"

c. after clause (h), the following new clause shall be inserted, namely,-

"(ha) "issuer" means issuer as defined in clause (i) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007;"

iii. In regulation 3, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that for the purpose of this sub-regulation a distributor shall be deemed to be an intermediary."

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69-Z B/12]

Foot note:

The SEBI (Self Regulatory Organizations) Regulations, 2004, were published in the Gazette of India on 19th February, 2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/3348/2004.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.